

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया
राजस्व प्रार्थना पत्र 81/2018

श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी जालिया द्वितीय तहसील
विजयनगर जिला अजमेर ।

.....प्रार्थी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र सुवालाल जाति ब्राह्मण ।
2. राधेश्याम पुत्र नन्दराम जाति ब्राह्मण ।
3. कैलाश पुत्र नन्दराम जाति ब्राह्मण ।
4. ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम जाति ब्राह्मण ।
5. रामनारायण पुत्र रूपलाल जाति ब्राह्मण ।
6. दिनेश पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण ।
7. काना उर्फ कन्हैयालाल पुत्र गंगाराम जाति ब्राह्मण -1से 7 निवासी जालिया द्वितीय ।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक तहसीलदार विजयनगर जिला अजमेर ।

.....अप्रार्थीगण

राजस्व पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एव 111 भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम जालिया द्वितीय पटवार हल्का जालिया द्वितीय तहसील विजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2720 रकबा 01-10-10 व 2721 रकबा 00-12-00 बिस्वा उनकी खुदकाशत से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काशतकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते हैं अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम जालिया द्वितीय पटवार हल्का जालिया द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2069-72 के खाता संख्या 54 में खसरा नम्बर 2720 रकबा 01-10-10 व 2721 रकबा 00-12-00 बिस्वा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते हैं कि -

आदेश

तहसीलदार विजयनगर को ग्राम जालिया द्वितीय पटवार हल्का जालिया द्वितीय स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 2720 रकबा 01-10-10 व 2721 रकबा 00-12-00 बिस्वा में मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।



(मोहनलाल खटनावलिया)
(सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा
अजमेर) राज.

